न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 64/2015

तारीख रजू:—16.07.2015

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. मु. जमीला उम्र 60 साल बेवा अल्लानूर
2. मु. नजमा उम्र 35 साल पुत्री ,अल्लानूर
3. मुन्शी उम्र 32 मल पुत्र अल्लानूर
4. निजाम उम्र 70 साल पुत्र पपैया

जाति मुसलमान, निवासी बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन सिटी जिला— करौली ———— सायलान

बनाम

1. भगवान सिंह
2. लोहरे
3. मु. मुखे
4. मु. बृजवासी

पिसरान मेवाराम

5. मु. साबिर बेवा मेवाराम
6. मु. हेमा पत्नि बीरेन्द्र सिंह
7. मु. सोनिया
8. मु. सलोनी

पिसरान बीरेन्द्र नाबालिग जरिये माता मु0 हेमा

जाति जाट निवासी बाजाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

9. मु. कमला पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली ————————————————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित:—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

2. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट गैरसायल सं09

निर्णय

दिनांक :—24.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवान का वाद पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खं०नं० 505 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा स्थित ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन जिसके सेटिलमेन्ट द्वारा मौजूदा खसरा नम्बरान 802 रकबा 26 ऐअर तथा 803 रकबा 34 ऐअर कुल किता 2 कुल रकबा 60 ऐअर कायम किये हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा सायलान की साबिक आराजी का नवीन रकबा 73 ऐअर के स्थान पर 60 ऐअर मात्र बनाया है। जिसे कम करने या रदद्ो बदल करने का सेटिलेमन्ट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि जमाबंदी सं. 2035 ता 38 की खातेदारी में अंकित खातेदारान अमीर खां, जुम्मा, नवाब पिसरान जौहरी द्वारा अपने हिस्से को मेवाराम को बेचान कर दिया। उक्त मेवाराम द्वारा जमीन की सेटिलमेन्ट से साज कर गलत खातेदारी अपने नाम करवाकर ख0 नं0 802/2 व ख0 नं0 803 का बदला मौजूदा खातेदार मु. कमला से कर लिया, क्योंकि उसे स्वयं के द्वारा की गयी फर्जकारी का पता था, बदला 50 ऐअर का किया तथा 10 ऐअर की जमीन स्वयं की खातेदारी में रखवा दी। जो आज मृतक मेवाराम के वारिसान की खातेदारी में दर्जहै। इस प्रकार मृतक मेवाराम द्वारा सेटिलमेन्ट से साज कर सायलान के हिस्से की जमीन को हड़पने के लिए कतई फर्जी रिकॉर्ड तैयार करवाया है। मौके पर सायलान के बुजुर्गान अल्लानूर व निजाम द्वारा एक बीघा जमीन मेवा व बाबू को बेचान के बाद 9 बिस्वा जमीन अपने उपयोग के लिए रखी हुई है। जिस पर मौके पर सायलान काबिज एवं दखील है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि सायलान ग्रामीण परिवेश की अनपढ कानून से अनभिज्ञ व्यक्ति है। जिन्हें गैरसायलान द्वारा सेटिलमेन्ट से साज कर तैयार करवाए गए रिकॉर्ड को कोई इल्म नहीं होने दिया। अब जमीन जिस पर सायलान काबिज है। रोड साइड में आ गयी है। और ब्याकीमती जगह है। जिससे रेवन्यू रिकोर्ड की गलत सेन्ट्रीज का बेजा लाभउठा कर परसायलान सायलान को बेदखल करने पर आमादा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 07.07.15 को सुबह करीब 11 बजे का है कि सायलान अपनी जमीन करीब 9 बिस्वा है मौके पर ख०नं० 802/1 व 802/2 के पूर्व में ख०नं० 1408 के मध्य स्थित है पर फसल काश्त करवा रहे थे कि गैरसायलान डण्डे के बल पर सायलान के खेत पर आ गयी, और कहने लगे, कि अब हम इस जमीन को तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। हमने हमारे पक्ष का पूरा काम करवा दिया है। तुम्हारी जमीन को हमने रोड़ में लगवा दिया है। भाग जाओ। अन्यथा तुम्हारे हाथ

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पैर तोड़ देंगे। मौके पर काफी लोग एकत्रित हो गये बड़ी मुश्किल से जमीन काश्त की है। मगर गैरसायलान ने सायलान को बेदखल करने की खुले आम धमकी दी है। इसलिये अगर गैरसायलान अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति हो जावेगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार होना संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी । जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी। जबकि गैरसायलान को पाबंद करने से कोई क्षति किसी भी प्रकार होना संभव नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि ऐसी परिस्थिति में गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधंज्ञा पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि प्राईमापेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त व मालिकाना हक की जमीन जो ख0नं0 802/1 व 802/2 के पूर्व व ख0स0 1408 के पश्चिम में 11 ऐअर जिसका नवीन ख0नं० 1408/1 है, के कब्जे काश्त सायलान में कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.08.2025 को सायलान के द्वारा नियत अवधि में गैरसायल सं0 1 ता 8 के सम्मन तलवाना पेश नहीं किये जाने की दशा में गैरसायल सं0 1 ता 8 के खिलाफ कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश दिये गये। दिनांक 28.01.2016 को गैरसायल सं09 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि मद नं. 1 प्रार्थना पत्र में सायलान की ओर से वाद पेश करना मात्र स्वीकार है, परन्तु सायलान को सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि मद नं. 2 प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड से संबंधित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि मद नं. 3 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि मद नं. 4 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का इस मद

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में दर्ज यह कथन गलत है कि मेवाराम द्वारा जमीन की सेटलमेन्ट से साज कर गलत खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर खसरा नम्बर 802/2 व 803 का बदला मौजूदा खातेदार श्रीमति कमला से कर लिया हो। सायलान का यह कथन भी गलत है कि मेवाराम द्वारा सेटलमेन्ट से साज कर सायलान के किसी हिस्से की जमीन को हडपने के लिए फर्जी रिकार्ड तैयार कराया हो तथा सायलान का यह कथन भी गलत है कि उनके बुजुर्गान द्वारा मेवाराम व बाबू को भूमि बेचान करने के बाद 9 बिस्वा भूमि शेष रही हो कि जिस पर सायलान काबिज काश्त हो बल्कि सही बात यह है कि सायलान के बुजुर्गान द्वारा विवादित भूमि के सम्पूर्ण हिस्सा को मेवाराम को जरिये रजि. विक्रयपत्र, विक्रय करने के पश्चात कोई भूमि शेष नहीं रही है और ना ही सायलान का किसी भूमि पर कोई कब्जा काश्त है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि मद नं. 5 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से बयान किया गया है गलत है और स्वीकार नहीं है। सायलान का यह कथन गलत है कि वे ग्रामीण परिवेश के अनपढ, कानून कायदों से अनभिज्ञ व्यक्ति हो। एवं सायलान का यह कथन भी गलत है कि बाद सेटलमेन्ट तैयार राजस्व रिकार्ड की उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि मद नं. 6 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। दिनांक 07.07.2015 को सुबह 11 बजे या किसी भी दिन किसी भी समय सायलान व गैरसायलान के मध्य इस मद में वर्णित कोई वातावरण/वार्तालाप नहीं हुआ है। सायलान ने इस मद में वर्णित समस्त कथन कतई गलत, बनावटी महज प्रार्थनापत्र दायर करने के आशय से दर्ज कराये हैं। सत्यता स्वरूप सायलान ने इस मद में अपने द्वारा काश्त की गई फसल का नाम भी दर्ज नहीं किया है और ना ही इस मद में दर्ज तथाकथित घटना के समय उपस्थित व्यक्तियों के नाम ही दर्ज किये हैं। सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति नहीं पहुंच रही है और ना ही कोई क्षति पहुंचने की संभावना है। सायलान ने बिना किसी अधिकार व औचित्य के प्रार्थनापत्र दायर किया है कि जो कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि मद नं. 7 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। मिन गैरसायला के कोई मन्सूबे नहीं है, ना ही सायलान को कोई क्षति है, जबकि मिन गैरसायला को पाबंद किये जाने से बमुकाबले सायलान उसे अत्यधिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में संभव नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि मद नं. 8 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। मिन गैरसायला को पाबंद किये जाने से उसे बमुकाबले सायलान अत्यधिक क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि मद नं. 9 प्रार्थना पत्र गलत है और स्वीकार नहीं है, प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित न होकर मिन गैरसायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

विशेष कथन

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि दावा सायलान दो प्रतियों में प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षरित सायलान कर विधि अनुसार सत्यापित कर शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिसके कारण दावा व प्रार्थनापत्र सायलान आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के तहत काबिल रिजेक्शन है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 802 रकबा 0.26 ऐयर, खसरा नम्बर 803 रकबा 0.34 ऐयर व भूमि खसरा नम्बर 804/1539 रकबा 0.10 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 ऐयर के 1/2 भाग को अल्लानूर, निजाम, अतरो, विशमिल्ला, पपीता, सईदन, मुन्नी पिसरान पपैया से गैरसायला श्रीमति कमला ने दिनांक 17.06.04 को मुवलिग 85,000/– रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है एवं रामबाबू, शिवराम पिसरान प्रताप जाट से भी विवादित भूमि के 1/3 भाग को दिनांक 09.06.05 को गैरसायला श्रीमति कमला ने मुवलिग 50,000/– रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है कि जिस पर खरीद के दिनांक से ही गैरसायला काबिज होकर व अदाय लगान काश्त करती चली आ रही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीखी 17.06.2004 व 09.06.2005 को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बिना दावा व प्रार्थनापत्र सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि के किसी भाग पर सायलान का कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे की दादरसी चाहे बगैर चाही गई दादरसी के लिए दावा व प्रार्थनापत्र सायलान कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि सायलान लालची किस्म के व्यक्ति हैं कि जिन्होंने लालच के वशीभूत होकर व बदनियती से गैरसायलान को तंग व परेशान कर अनुचित धन ऐंठने की गरज से दावा व प्रार्थनापत्र हाजा दायर किया है कि जो कानूनन मेन्टीनेबिल नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं. 15 में दर्ज किया है कि प्रतिपक्षी नं. 9 श्रीमति कमला विवादित भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जा सकता है।

अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2071–74 किता 2, फोटो प्रति नकल नक्शा सीट, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 802/1 रकबा 0.10 है0, 1641/804 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह लोहरे पि0 मेवाराम मुक्खो बृजवती पुत्रियॉ मेवाराम साविर बेबा मेवाराम व हेमा पत्नि वीरेन्द्रसिंह सोनिया सलोनी पुत्रियॉ वीरेन्द्रसिंह जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 802/2 रकबा 0.16 है0, 803 रकबा 0.34 है0, 1640/804 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी कमला धर्मपत्नि बाबूलाल जाति जोगी सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1408 रकबा 0.84 है0 किस्म गै0मु0 सडक वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की विवादित आराजी के साबिक खसरा नम्बरान से दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
505 मिन	2 बीघा 17 बिस्वा	802	0.26
505 मिन	—	803	0.34
506/1 505 मिन 513	10 बिस्वा — —	1408	0.84

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 505 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमीर खॉ जुम्मा नबाव पि0 जौहरी जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम हि0 बराबर हि0 1/2, पपैया पुत्र वंशी तेली हि0 1/2 निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 505 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमीर खॉ जुम्मा नबाव पि0 जौहरी जाति मुसलमान तेली निवासी ग्राम हि0 बराबर हि0 1/2, पपैया पुत्र वंशी तेली हि0 1/2 निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जिसके दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 802 रकबा 0.26 है0, 803 रकबा 0.34 है0 कायम किये गये हैं। किन्तु सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर वर्तमान में विवादित आराजी खसरा नम्बर 802/1 रकबा 0.10 है0, 1641/804 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह लोहरे पि0 मेवाराम मुक्खो बृजवती पुत्रियॉ मेवाराम सावित्र बेबा मेवाराम व हेमा पत्नि वीरेन्द्रसिंह सोनिया सलोनी पुत्रियॉ वीरेन्द्रसिंह जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 802/2 रकबा 0.16 है0, 803 रकबा 0.34 है0, 1640/804 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी कमला धर्मपत्नि बाबूलाल जाति जोगी सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 1408 रकबा 0.84 है0 किस्म गै0मु0 सडक वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं तथा सुरक्षित हैं। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम नहीं रखी गई तो पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद एवं मुकदमेंबाजी बढने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 802/1 रकबा 0.10 है0, 802/2 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 1408 के पश्चिमी भूमि रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)